In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-131/2018

CIS-91/2018

01.04.2022	वादी की ओर से एक आवेदन पत्र U/O- 6 Rule 17 R/W Sec-151 C.P.C. तथा हाजरी दी गयी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन पत्र को संचालित कर निवेदन करते है कि वाद पत्र में संशोधन की अनुमति दी जाय क्योंकि संशोधन आवेदन पत्र साधारण प्रकृति का है। इससे वाद के मूल प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही जारी है तथा वाद वादी के बहस हेतु लंबित है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र साधारण प्रकृति का है, वाद में संशोधन से इसके मुल प्रकृति में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा तथा आवेदन पत्र शपथ युक्त है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/O-6 Rule-17 R/W Sec 151 C.P.C. 500/- खर्चे की राशि पर स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत के माध्यम् से जमा करे। तत्पश्चात् वादी वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 19.4.22 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी